भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2571

19 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए नियत

सार्वजनिक क्षेत्र की चल परिसंपत्तियां

2571. श्री शिशिर कुमार अधिकारी:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कॉर्पोरेशन (एमएएमसी) की चल परिसंपत्तियों को बेचने और स्थानीय डिजाइनरों और मूल उपकरण बाजारों को प्रोत्साहित करने हेतु औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए एक कंसोर्टियम को अनुमति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस योजना अथवा परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इस कंसोर्टियम के कार्य क्या हैं; और

(ग) संयंत्रों और बंद पड़ी इकाइयों की आवासीय भूमि तथा उनके विकास के संबंध में सरकार के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) से (ग): माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कॉर्पोरेशन (एमएएमसी) के रुग्ण कंपनी बन जाने के कारण 1992 में इसका मामला औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफ़आर) को भेजा गया था और बीआईएफ़आर की संस्तुतियों के आधार पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कंपनी को बंद करने का आदेश दिनांक 16.05.2002 को पारित किया था और कंपनी की सभी परिसंपत्तियों का निपटान करने के लिए एक आधिकारिक परिसमापक (ओएल) को नियुक्त किया था। आधिकारिक परिसमापक ने उन सभी परिसंपत्तियों को अपने अधिकार में ले लिया था जिन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिनांक 11.06.2011 के आदेश के माध्यम से कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) के संघ (कंसोर्टियम) को बेचने के लिए निर्धारित किया था।

*****